भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1031
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 10 फरवरी, 2025/21 माघ,1946 (शक) को दिया जाना है।)

सेबी कर्मचारियों द्वारा दायर शिकायतें

1031. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अदानी समूह द्वारा प्रयुक्त एक विदेशी निधि में निवेश के आरोपों के मद्देनजर सेबी प्रमुख के त्यागपत्र देने और आईसीआईसीआई बैंक में उनके बने रहने के मामले का संज्ञान लिया है;
(ख) क्या सरकार ने सेबी प्रमुख के विरूद्ध सेबी कर्मचारियों द्वारा दायर की गई किसी शिकायत का उत्तर दिया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक तंत्र मौजूद है, जिसमें प्रकटीकरण फ्रेमवर्क और निर्णायक भूमिका से हटने संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

सेबी के बोर्ड ने अध्यक्ष सहित अपने बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव पर एक संहिता को अपनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड इस तरह से कार्य करें जिससे उसकी अपने अधिदेश को पूरा करने की क्षमता से समझौता न हो या सदस्य (सदस्यों) द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता में जनता का विश्वास कम न हो।

(ख) और (ग): सेबी कर्मचारियों से संबंधित मामलों का समाधान सभी ग्रेड के अधिकारियों और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा सहित उपयुक्त आंतरिक तंत्र के माध्यम से करता है।

*****